राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक :एफ.वी. 77( )/प्रजनन/जो.उ.न्या. /2015/ 1071-1077 दिनांक: 27/06/2016
समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)
पशुपालन विभाग।

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0सिविल रिट पिटीशन नं. 2009/2014 दिनांक 04.05.2015 में पारित आदेशों की अनुपालना के क्रम में।

प्रसंग :– दिनांक 10.12..2015 को अति.निदेशक उत्पादन की अध्यक्षता में हुई बैठक।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में दिनांक 10.12..2015 को निदेशालय के सभागार में हुई बैठक में राजकीय पशुमेलों में राज्य से बाहर विक्रय किये जाने वाले पशुओ की संख्या सीमा निर्धारित करने व जिले में पशुओ की उपलब्धता के आंकलन का मापदण्ड निर्धारित करने हेतु राज्य स्तरीय पशुगणना वर्ष 2007 व 2012 का मूल्यांकन किया गया ।

राज्य की पशुगणना एवं जनगणना के आंकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जनगणना व पशुगणना के अनुपात को बनाये रखने हेतु 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक पशु विक्रय किये जा सकते है। अतः 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष पशु विक्रय से उस क्षेत्र की आवश्यकता प्रभावित नहीं होगी। उक्त निर्णय का अनुमोदन शासन स्तर से किया जा चुका है।

अतः आपके क्षेत्र में लगने वाले पशुमेलों में विक्रय किये जाने वाले पशुओ की संख्या को राज्य/क्षेत्र/जिले की पशु वृद्धि दर का 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा जावे।

इसे अतिआवश्यक समझा जावे।

निदेशक

क्रमांक :एफ.वी. 77( ).संयुक्त निदेशक/प्रजनन/जोधपुर उच्च न्यायालय प्रकरण/2015/ : दिनांक

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. शासन उपसचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, उप निदेशक (वादकरण) पशुपालन विभाग जोधपुर।
3. उप निदेशक (विस्तार) पशुपालन निदेशालय जयपुर।
4. रक्षित पंजिका।

निदेशक